मुकदमों का विवरण

ज़ुनाइड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2628-2629) 29 अगस्त, 2023

[बेला एम**.** त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःसीजेएम ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और विरोध याचिका को शिकायत मामले के रूप में स्वीकार कर लिया, क्या सीजेएम द्वारा चुना गया मार्ग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत, कानूनी और उचित था।

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-**जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की**-**अपीलकर्ता**-**शिकायतकर्ता ने एक विरोध याचिका का नेतृत्व किया**-**संबंधित सीजेएम ने दिनांक **15.11.2018** के आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि विरोध याचिका को शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया जाए**-**उच्च न्यायालय ने दिनांकित **15.11.2018** यू/एस के आदेश को रद्द कर दिया। **482 Cr.P.C.:**

आयोजित किया गयाःसंबंधित सी. जे. एम. ने 15.11.2018 पर पारित विस्तृत आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया था, और यू/एस के तहत आगे बढ़ने का फैसला किया था।200 Cr.P.C-सी. जे. एम. द्वारा चुना गया ऐसा मार्ग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल न्यायसंगत, कानूनी और उचित था-प्रतिवादी-अभियुक्त के कहने पर उक्त आदेश दिनांक 15.11.2018 को चुनौती नहीं दी गई-यह केवल तब हुआ जब संबंधित सी. जे. एम. ने शिकायतकर्ता और आठ गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 11.01.2022 पर समन जारी किया, तो उत्तरदाताओं ने उक्त आदेश दिनांक 11.01.2022 यू/एस को चुनौती देने वाले आवेदन का नेतृत्व किया।482 उच्च न्यायालय के समक्ष और उक्त आवेदन में, दिनांक 15.11.2018 के आदेश को संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई-इस प्रकार, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी-अभियुक्त को दिनांकित 15.11.2018 के आदेश को चुनौती देने के लिए आवेदन में संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, इसके पारित होने के लगभग चार साल बाद-716 जारी करने वाले संबंधित सीजेएम द्वारा पारित 11.01.2022 का विवेकाधीन आदेश

/

[2023] 11 एस सी आर।

शिकायतकर्ता और आठ गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और कथित अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने के बाद, अभियुक्त को समन भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश गलत होने के कारण, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 12]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **173-**पुलिस रिपोर्ट**-**मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का प्रयोग कर सकता हैः

आयोजित किया गयाःपुलिस की रिपोर्ट की प्राप्ति यू/एस।173 मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है-पहला, वह यह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है-दूसरा, वह अपराध का संज्ञान ले सकता है।190(1)(ख) पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर; और तीसरा, वह मामले का संज्ञान ले सकता है।190(1) (क) मूल शिकायत के आधार पर और धारा 200 के अंतर्गत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ें।[पैरा 11]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **173-**पुलिस रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद**-**अभियुक्त का निर्वहन**-**किसी शिकायत या विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तिः

आयोजित किया गयाःयह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसे मामले में भी जहां पुलिस यू/एस की अंतिम रिपोर्ट नहीं है।173 अभियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें आरोपमुक्त कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास वित्तीय रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद भी उसी या इसी तरह के आरोपों पर शिकायत या विरोध याचिका पर संज्ञान लेने की शक्ति होती है-एक मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि उसने पहले पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था-इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए विरोध याचिका या शिकायत की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है जैसा भी मामला हो।[पैरा 11]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राकेश और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2014) 13 एससीसी

133 :[2014] 13 एससीआर 1072-पर निर्भर।

गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा और अन्य (1982) 3 एस. सी. सी. 510; बी. चंद्रिका बनाम संतोष और अन्य (2014) 13 एस. सी. सी. 699:

[2013] 12 एस. सी. आर. 588-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 2628-2629।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 2022 के ए 482 संख्या 14899 में दिनांकित 22.07.2022 और दिनांकित 21.07.2022 निर्णय और आदेश से।

रूपः

अनुराग किशोर, सुश्री रितिका श्रीवास्तव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिसबाह बिन तारिक, मोहम्मद।अमानुल्लाह, सुश्री शबाना अंजुम, अज़हर अली, सौरभ मिश्रा, अंकित गोयल, सत्यम पांडे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।2. छुट्टी दे दी गई।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.P.C') की धारा 482 के अंतर्गत प्रतिवादी-अभियुक्त के नेतृत्व में आवेदन No.14899/2022 FI में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से दो अपीलें उत्पन्न होती हैं।इन दोनों अपीलों का नेतृत्व अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने दिनांक 4 के आदेश को चुनौती देते हुए किया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 के अंतर्गत आवेदन में संशोधन करने के लिए प्रतिवादियों-अभियुक्तों द्वारा की गई प्रार्थना को मंजूरी दे दी थी और उस दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विविध मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संक्षेप दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा पारित दिनांक 2 और दिनांक 5 के आदेशों को रद्द कर दिया है।केस क्राइम No.907/2017 से उत्पन्न होने वाला केस No.06/11/2018।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट को आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के नेतृत्व में विरोध याचिका पर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

4. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आई. डी. 1 पर, अपीलकर्ता-जुनैद खान ने एक एफ़. आई. आर. दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने धारदार हथियारों से लैस होकर उन पर और उनके परिवार पर हमला किया था और पुरानी दुश्मनी के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था।इसके परिणामस्वरूप, उनके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।उक्त एफ. आई. आर. पी. एस. कोटवाली गुरसहायगंज, कन्नौज में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,148,149,307,323,324,504 के अंतर्गत अपराध के लिए 2017 के अपराध मामले के रूप में दर्ज की गई थी।जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी करने के बाद, 13.11.2017 पर No.164/2017 वाली अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5. उक्त रिपोर्ट से व्यथित होकर, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने संबंधित सी. जे. एम. के समक्ष एफ. आर. No.06/11/18 नामक एक विरोध याचिका का नेतृत्व किया। संबंधित सीजेएम ने दिनांक 15.11.2018 के आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि विरोध याचिका को शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया जाए। उक्त शिकायत का मामला दर्ज किया गया था और शिकायत No.2783/2018 के रूप में दर्ज किया गया था।

6. संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता एम. ने धारा 200 और 202 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता और आठ अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, उक्त शिकायत मामले में अभियुक्तों को समन जारी किया।11.01.2022 पर पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष No.14899/2022 वाली धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन को प्राथमिकता दी।

7. <ID2 पर, उत्तरदाता-अभियुक्त, जो उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक थे, ने धारा 482 के अंतर्गत आवेदन के प्रार्थना खंड में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया और 15.11.2018 दिनांकित आदेश को भी अपास्त करते हुए का अनुरोध किया।संशोधन के लिए उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुज्ञात गई।अगले ही दिन, उच्च न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद 22.07.2022 पर आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें धारा 482 के अंतर्गत उक्त आवेदन को अनुमति दी गई, जैसा कि ऊपर कहा गया है।8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

“20. जब संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आदेशों की, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हरि राम (उपरोक्त) में फैसले के पैराग्राफ 28 में निहित टिप्पणियों के आलोक में जांच की जाती है, तो विधि के उस आदेश को पूरा नहीं करता है जिसका मजिस्ट्रेट को धारा 190 (1) (बी) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय पालन करना आवश्यक

है। पुलिस रिपोर्ट के साथ कागजात के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दर्ज नहीं किया गया है।पुलिस रिपोर्ट के साथ दिए गए कागजातों में आवेदकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की कोई सूचना दर्ज किए बिना, मजिस्ट्रेट द्वारा विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मानने के लिए निकाला गया निष्कर्ष न केवल अवैध है, बल्कि मनमाना भी है।एक बार जब मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि संबंधित मामले की अपराध संख्या की जांच असंतोषजनक है या आधिकारिक जांच के अभावपूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है, तो उस स्थिति में, संबंधित मजिस्ट्रेट को मामले में आगे की जांच का निर्देश देना चाहिए था।विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में मानने के अपने निष्कर्ष के समर्थन में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए निर्णय स्वयं एक शिकायत के रूप में विरोध याचिका के साथ आगे बढ़ने के लिए अयोग्य हैं। "9. हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय के निर्णयों के आधार को देखते हुए बिल्कुल गलत हैं।

10. राकेश और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य में, यह है

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- “6. यदि हमें गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा, (1982) 3 एस. सी. सी. 510 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वापस जाना है, तो एच. एस. बैंस बनाम राज्य (चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश) (1980) 4 एस. सी. सी. 631 में इस न्यायालय के निर्णय की सूचना होनी चाहिए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प हैंः(एच. एस. बैंस मामला (ऊपर)

“6. ....(1) वह यह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है; (2) वह पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर धारा 190 (1) (बी) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले सकता है; यह वह पुलिस द्वारा अपने मामले में लिए गए निष्कर्ष से किसी भी तरह से बाध्य हुए बिना कर सकता है।

1 (2014) 13 एससीसी 133

रिपोर्ट; (3) वह मूल शिकायत के आधार पर धारा 190 (1) (ए) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले सकता है और धारा 200 के अंतर्गत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ सकता है।यदि वह तीसरा विकल्प अपनाता है, तो वह धारा 202 के अंतर्गत जांच कर सकता है या निर्देश दे सकता है यदि वह ऐसा नहीं सोचता है।इसके बाद वह शिकायत या जारी करने की प्रक्रिया को खारिज कर सकता है, जैसा भी मामला हो।” एच. एस. बैन्स (उपरोक्त) में मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध दूसरे और तीसरे विकल्प को संदर्भित किया गया है और इस न्यायालय के बाद के फैसलों में मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए उस

पर भरोसा किया गया है ताकि वित्तीय रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सके और साथ ही पुलिस रिपोर्ट या प्रारंभिक शिकायत को उसमें लगाए गए आरोपों के मामले में आगे की कार्रवाई/जांच के आधार के रूप में माना जा सके।इस संबंध में गंगाधर जनार्दन म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 768 मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।निम्नलिखित दृष्टिकोण को विशिष्ट रूप से नोट किया जा सकता हैः

“9. ....मजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को नजरअंदाज कर सकता है और स्वतंत्र रूप से जाँच से सामने आने वाले तथ्यों पर अपना दिमाग लगा सकता है और मामले का संज्ञान ले सकता है, अगर वह ऐसा सोचता है, तो धारा 190 (1) (बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आरोपी को प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में धारा 190 (1) (ए) के अंतर्गत किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए संहिता की धारा 200 और 202 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि वह धारा 200 या धारा 202 के अंतर्गत भी कार्य कर सकता है।[इंडिया कैरेट (पी) लिमिटेड बनाम देखें।कर्नाटक राज्य, (1989) 2 एस. सी. सी. 132] "(एस. सी. सी. पी. 140, पैरा 16)। "

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 173 Cr.P.C के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का प्रयोग कर सकता है।सबसे पहले, वह यह तय कर सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।दूसरा, वह पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर धारा 190 (1) (बी) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले सकता है और तीसरा, वह मूल शिकायत के आधार पर धारा 190 (1) (ए) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले सकता है और धारा 200 के अंतर्गत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ सकता है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसे मामले में भी जहां धारा 173 के अंतर्गत पुलिस की वित्तीय रिपोर्ट स्वीकार की जाती है और आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास 721 मामले हैं।

जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

एफ. आई. एन. ए. एल. रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद भी उसी या समान आरोपों पर शिकायत या विरोध याचिका पर संज्ञान लेने की शक्ति।जैसा कि इस न्यायालय ने गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर मामले में कहा था।

प्रसाद सिन्हा और अन्य 2, जैसा कि बी. चंद्रिका बनाम संतोष और

अन्य 3, एक मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि उसने पहले पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए विरोध याचिका या शिकायत की सामग्री पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, संबंधित सीजेएम ने 15.11.2018 पर पारित विस्तृत आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया था, और धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आगे बढ़ने का फैसला किया था। सीजेएम द्वारा चुना गया ऐसा मार्ग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल न्यायसंगत, कानूनी और उचित था।प्रतिवादी-अभियुक्त के कहने पर उक्त आदेश दिनांक 15.11.2018 को चुनौती नहीं दी गई।यह केवल तभी हुआ जब संबंधित सीजेएम ने शिकायतकर्ता और आठ गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, 11.01.2022 पर समन जारी किया, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंतर्गत उक्त आदेश दिनांक 11.01.2022 को चुनौती देने वाले आवेदन का नेतृत्व किया, और उक्त आवेदन में, दिनांकित 15.11.2018 के आदेश को संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई।इस प्रकार, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी-अभियुक्त को इसके पारित होने के लगभग चार साल बाद दिनांकित आदेश को चुनौती देने के लिए आवेदन में संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, और किसी भी मामले में सीजेएम द्वारा विधि के चारों कोनों के भीतर प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।शिकायतकर्ता और आठ गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और कथित अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने के बाद, संबंधित सीजेएम द्वारा अभियुक्त को समन जारी करने का विवेकाधीन आदेश भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सी. जे. एम. द्वारा पारित दिनांकित 15.11.2018 और 11.01.2022 आदेशों अपास्त करते हुए करने में भारी त्रुटि की है।

2 (1982) 3 एससीसी 510 3 (2014) 13 एससीसी 699

13. इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अत्यधिक गलत हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।संबंधित सी. जे. एम. को विधि के अनुसार शिकायत मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।प्रतिवादी-अभियुक्त के लिए समन का जवाब देने और दो सप्ताह के भीतर संबंधित सी. जे. एम. के समक्ष पेश होने की अनुमति होगी।14. अपीलों को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।

15. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुज्ञात गई।

अंकित ज्ञान